

# अपर समाहता का न्यायालय, दुमका ।

रोमिं रिवीजन सं० 20/11-12

लखन महतो.....आवेदक

बनाम

आनन्दी सिंह.....विपक्षी

॥आदेश॥

22/11/17

उम्मीद एवं उपस्थिति नहीं है

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय कई पक्ष कई तिथियों से न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित है, उभय पक्षों पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। इसके प्रश्चात् भी उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिसूचि नहीं है।

अतः उभय पक्षों के अभिसूचि के अभाव को देखते हुए वाद की कार्रवाई बिना विचारण समाप्त किया जाता है।

लेखापित

अपर समाहता,  
दुमका ।

22/11/17  
अपर समाहता,

दुमका ।